



2026:AHC:178692

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8521 सन् 2026

राम बाबू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक के अधिवक्ता

: राघवेंद्र प्रकाश, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.), विजय त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. श्री गौरव कक्कड़, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राघवेंद्र प्रकाश, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, द्वारा सहायता प्रदत्त, श्री विजय त्रिपाठी, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 135 सन् 2015, थाना अछनेरा, जनपद आगरा में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 302/149 के अंतर्गत उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। अभिकथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। आवेदक को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ दिनांक 17.04.2015 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अभिकथन किया गया है कि आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्तों ने अभिकथित अपराध में भाग लिया। विवेचना अधिकारी ने विवेचना प्रारंभ की और उसे दिनांक 14.09.2015 को पूर्ण किया तथा सह-अभियुक्तगण मुकेश, राकेश तथा दिनेश के विरुद्ध आरोप अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदक तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित छह अन्य सह-अभियुक्तों को विवेचना अधिकारी द्वारा दोषमुक्त किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया तथा तत्पश्चात मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया, जहाँ सह-अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। उन्होंने स्वयं को दोषी नहीं माना तथा विचारण की माँग की। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आरोप विरचित होने के पश्चात, अभियोजन ने साक्ष्य प्रस्तुत किया तथा विचारण के दौरान क्रमशः दिनांक 27.06.2016 तथा 30.07.2018 को अभियोजन साक्षी-1 राजबीर (मृतक का भाई), अभियोजन साक्षी-2 श्रीमती कमलेश (मृतक की पत्नी) के कथन अभिलिखित किए गए तथा तत्पश्चात अभियोजन द्वारा दिनांक 09.07.2026 को आवेदक को आपराधिक विचारण का सामना करने हेतु समनित किए जाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319/बी.एन.एस.एस. की धारा 358 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319/बी.एन.एस.एस. की धारा 358 के अंतर्गत प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2026 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। दिनांक 09.07.2026 का समनादेश अंतिम हो चुका है।

4. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया है कि अभियोजन साक्षी-2 का कथन दिनांक 30.07.2018 को अभिलिखित किया गया था, किंतु उसके कथन की समाप्ति के तुरंत पश्चात उसकी ओर से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्तमान मामले में, विचारण के दौरान समस्त अभियोजन साक्षियों की परीक्षा की जा चुकी है तथा अभियोजन ने दस अभियोजन साक्षियों तक के कथनों पर निर्भरता व्यक्त की है। अभियोजन साक्षी-10 का कथन अभिलिखित होने के पश्चात, अभियुक्तगण मुकेश, राकेश तथा दिनेश के कथन दिनांक 30.03.2026 को अभिलिखित किए गए। जब विचारण समाप्त होने वाला था, तब एडीजीसी (आपराधिक) द्वारा दिनांक 09.07.2026 को आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्तों, जिन्हें विवेचना अधिकारी द्वारा आरोप-पत्रित नहीं किया गया था, को समनित किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। एडीजीसी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अभियोजन साक्षी-2 श्रीमती कमलेश का कथन दिनांक 30.07.2016 को पूर्ण होने के पश्चात ऐसा प्रार्थना पत्र क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया। अन्य साक्षी औपचारिक प्रकृति के थे तथा उन्होंने आवेदक का नाम अभियुक्त के रूप में नहीं लिया। विगत आठ वर्षों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319/बी.एन.एस.एस. की धारा 358 के अंतर्गत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। विचारण की समाप्ति के अत्यंत निकट, संबंधित विद्वान न्यायालय ने अत्यंत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आश्चर्यजनक रूप से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया तथा दिनांक 09.07.2026 के आदेश द्वारा आवेदक को आपराधिक विचारण का सामना करने हेतु समनित किया।

5. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया है कि प्रथम सूचनाकर्ता प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा अभियोजन साक्षी-2 श्रीमती कमलेश स्वयं को अभिकथित घटना की साक्षी होने का दावा करती हैं, तथापि उनके साक्ष्य की चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि नहीं होती। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अभिकथन किया गया है कि मृतक की हत्या धारदार हथियार से की गई, तथापि अनुलग्नक संख्या 3 के रूप में संलग्न शव-परीक्षण रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि चोटें कुंद हथियार से कारित हुई थीं। आवेदक के एक अन्य मामले के आपराधिक पूर्ववृत्त को प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 40 में स्पष्ट किया गया है।

6. आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक को विवेचना अधिकारी द्वारा दोषमुक्त किया गया था तथा प्रथम दृष्टया, सम्यक विवेचना के पश्चात अभिकथित अपराध में उसकी संलिप्तता नहीं पाई गई। आवेदक को वर्तमान मामले में अभियोजन की सनक पर समनित किया गया है। आवेदक आपराधिक विचारण का सामना करने हेतु तत्पर है। इस मामले में विवेचना पहले ही पूर्ण हो चुकी है तथा अभिकथित अपराध में आवेदक की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। आवेदक की अभिरक्षागत पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कथन किया है कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है तथा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी आवश्यक हो, उपस्थित होगा। यह भी कथन किया गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विचारण न्यायालय के साथ सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली समस्त शर्तों का पालन करेगा।

7. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, दोनों ने अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र का विरोध किया है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि अभियोजन का मामला आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्तों की संलिप्तता के संबंध में सुसंगत है। मृतक की आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्तों, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं, द्वारा निर्ममतापूर्वक हत्या की गई तथा मृतक के शरीर पर 11 चोटें पाई गई।

8. मैंने दोनों पक्षों की प्रतिस्पर्धी प्रस्तुतियों को सुना है एवं अभिलेख का अवलोकन किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया था किंतु उसके विरुद्ध कोई आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। विवेचना अधिकारी द्वारा अभिकथित अपराध में आवेदक की संलिप्तता नहीं पाई गई। उसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319/बी.एन.एस.एस. की धारा 358 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक विचारण का सामना करने हेतु समनित किया गया है तथा आवेदक की अभिरक्षागत पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319/बी.एन.एस.एस. की धारा 358 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में विलंब के संबंध में समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सके। उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि सूचनाकर्ता अथवा मृतक की पत्नी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने-अपने कथनों की समाप्ति के तुरंत पश्चात ऐसा प्रार्थना पत्र क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई प्रस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय इस मत का है कि आवेदक ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण बनाया है।

10. अमन प्रीत सिंह बनाम सी.बी.आई., (2022) 13 एस.सी.सी. 764 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:

“11. उपर्युक्त के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यह मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते समय मजिस्ट्रेट के लिए निर्धारित किया गया है। संज्ञान लेने अथवा अभियुक्त का विचारण करने हेतु सशक्त मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय को आरोप पत्र अविलंब स्वीकार करना होता है तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करनी होती है। यह सम्यक रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय को अनिवार्यतः समन की प्रक्रिया जारी करनी होती है, न कि गिरफ्तारी वारंट की। यदि वह गिरफ्तारी वारंट जारी करने के विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहता है, तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 87 के अंतर्गत परिकल्पित कारणों को अभिलिखित करना होगा कि अभियुक्त या तो फरार हो गया है अथवा समन की अवहेलना करेगा अथवा उसने समन की सम्यक तामील के प्रमाण के बावजूद उपस्थित होने से इनकार किया है। वस्तुतः उच्च न्यायालय द्वारा उप-पैरा (iii) में की गई टिप्पणियाँ सावधानी की प्रकृति की हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. जहाँ तक वर्तमान मामले तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के अंतर्गत सामान्य सिद्धांतों का संबंध है, सर्वाधिक समुचित टिप्पणियाँ उच्च न्यायालय के निर्णय के उप-पैरा (v) में हैं, उस अभियुक्त के संदर्भ में जो एक अजमानतीय अपराध में है तथा जिसकी अभिरक्षा विवेचना की अवधि के दौरान अपेक्षित नहीं थी। ऐसी स्थिति में, यह समुचित है कि अभियुक्त को जमानत पर मुक्त कर दिया जाए क्योंकि विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार न किए जाने अथवा अभिरक्षा में प्रस्तुत न किए जाने की परिस्थितियाँ स्वयं में उसे जमानत पर मुक्त किए जाने का हकदार बनाने हेतु पर्याप्त हैं। यह तर्क संक्षेप में यह है कि यदि किसी व्यक्ति को अनेक वर्षों से मुक्त तथा स्वतंत्र रखा गया है और विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, तो मात्र इसलिए कि आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, अचानक उसकी गिरफ्तारी का निर्देश देना तथा उसे कारावास में डालना, जमानत प्रदान किए जाने के शासी सिद्धांतों के विपरीत होगा। हम इससे पूर्णतः सहमत हैं।”

11. अग्रिम जमानत संबंधी विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की प्रस्तुतियों, अभियोग की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा मामले की समस्त संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तथा यह पाते हुए कि आवेदक का मामला उपर्युक्त निर्णयों द्वारा पूर्णतः आच्छादित है, अग्रिम जमानत हेतु प्रकरण बनता है।

12. तदनुसार, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निम्नलिखित निर्देशों के साथ अनुमत किया जाता है:-

(i). उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक-**राम बाबू** की गिरफ्तारी/उपस्थिति की स्थिति में, उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो-दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर, विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाएगा;

(ii). आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा निष्पक्ष विचारण के प्रयोजनार्थ जब भी अपेक्षित हो, संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii). आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से रोकने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा; तथा

(iv). आवेदक न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

13. शर्तों में से किसी के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-परिवादी, आवेदक को प्रदत्त अग्रिम जमानत के निरस्तीकरण हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष समुचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

24 अगस्त, 2026

ए.पी. पाण्डेय